राजस्थान सरकार

(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक : 07 / भु.अ. / ज.स. / 2018 / 2554–57 दिनांक –13.06.2018

अधिसुचना

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पिण्ड सिंचाई परियोजना बाईवास, बांयी एवं दांयी मुख्य नहर के निर्माण हेतु, भुमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है ।

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर औंर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन मे उचित प्रतिकर औंर पारदर्शिता नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016, के नियम 6(8) की पालना सूनिश्चित करने हेतु **अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रतापगढ को अधिकृत किया जाता है ।**

भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–4(6) के अन्तर्गत संबंधित **भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बडीसादडी होंगे ।** विवरण संलग्न सूची अनुसार ।

संलग्न :– सूची

आज्ञा से

ह0

(जितेन्द्र दीक्षित)

उप सचिव, एवं प्रावै. सहायक

वास्ते मुख्य अभियंता, जल संसाधन

राजस्थान, जयपुर

<u>विवरण</u>

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड प्रतापगढ के अन्तर्गत **पिण्ड सिंचाई परियोजना बाईवास, बांयी एवं दांयी मुख्य नहर** के निर्माण हेतु अवाप्त की जाने वाली भुमि हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–4(1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव।

क्र. सं.	कार्य का नाम जिला प्रतापगढ	जिला का नाम	तहसील	उपखण्ड अधिकारी/भुमि अवाप्त अधिकारी
1.	**पिण्ड सिंचाई परियोजना बाईवास, बांयी एवं दायी मुख्य नहर**	चित्तौडगढ	बडीसादडी	बडीसादडी

अधिक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत, भीलवाडा

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड प्रतापगढ

फार्म–2
(देखे–नियम–5)
पार्ट–बी
सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसुचना
सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :–

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रतापगढ
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षैत्र और प्रभावित क्षैत्र ।	**पिण्ड सिंचाई परियोजना बाईवास, बांयी एवं दांयी मुख्य नहर** ग्राम पंचायत पिण्ड, **(सिंचाई परियोजना बांयी एवं दांयी मुख्य नहर)** तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़ योजना के अंतर्गत 20.25 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
(ख)	समाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उददेश्य और महत्वपुर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत :– (i)परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई /सुनवाईयां भी दें।	परामर्श सर्वेक्षण सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा ओर/या भू–स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसुचना में इस बारे मे कथन किया जाना होगा ।	अधिनियम की धारा 2(1) के अंतर्गत लागु नही है ।
(घ)	समाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रिति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना) विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे ।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार ।
(ड)	इस अवधि के दोरान इस आशय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शुन्य हो जाएगी ।	हां
(च)	समाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी ।	श्री जितेन्द्र मेनारिया (मो. 998283500) कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, प्रतापगढ।

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड, डुंगला

अधिशाषी अभियंता
जल संसाधन खण्ड प्रतापगढ

अधीक्षण अभियंता
जल संसाधन वृत भीलवाडा